क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

17 फरवरी 2025 को **जयपुर** में संयुक्त क्षेत्रीय **राजभाषा** **सम्मेलन** का आयोजन किया गया।

मुख्य बिंदु

- **सम्मेलन के बारे में:**
  - यह सम्मेलन **गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग** की ओर से आयोजित किया गया।
- **अतिथि:** मुख्य अतिथि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जबकि केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में मौजूद रहे।
- इस सम्मेलन में केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, **राष्ट्रीयकृत बैंकों**, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों से लगभग **3000 लोगों ने भाग लिया**।
- सरकारी कामकाज़ में हिंदी के अधिकाधिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले संस्थानों को सम्मानित भी किया गया।
- **उद्देश्य**: इस सम्मलेन का उद्देश्य सरकारी विभागों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना था।

हिंदी भाषा के बारे में:

- **परिचय**:
  - **हिंदी** एक **इंडो-आर्यन** भाषा है, जो मुख्य रूप से **भारतीय उपमहाद्वीप** में बोली जाती है। यह **भारतीय संविधान** के अनुसार **भारत** की प्रमुख **राजभाषा** है और यह **भारतीय समाज**, **संस्कृति** और **साहित्य** में महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है।
  - यह दुनिया की **तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा** है और **यूनेस्को** **महा सम्मेलन** की दस आधिकारिक भाषाओं में से एक है।
- **इतिहास**: **हिंदी** का विकास **संस्कृत** से हुआ है और इसे **भारतीय उपमहाद्वीप** में प्राचीन काल से बोला जाता है। समय के साथ, **हिंदी** ने **फारसी**, **अरबी** और **अंग्रेज़ी** भाषाओं से भी शब्द ग्रहण किये हैं, विशेषकर **मुग़ल साम्राज्य** और **ब्रिटिश शासन** के दौरान।
- **लिपि**: **हिंदी** की लिपि **देवनागरी** है, जो **संस्कृत** की लिपि से विकसित हुई है। इसमें **11 स्वर** और **33 व्यंजन** होते हैं। **देवनागरी लिपि** का उपयोग न केवल **हिंदी** बल्कि कई अन्य भारतीय भाषाओं के लिये भी होता है।
- **भाषायी विविधता**: **हिंदी** भाषा में कई बोलियाँ हैं, जैसे कि **अवधी**, **भोजपुरी**, **ब्रज**, **हरियाणवी**, **मारवाड़ी** आदि।
- **विस्तार**: **हिंदी** न केवल **भारत** में, बल्कि **नेपाल**, **पाकिस्तान**, **मलेशिया**, **थाईलैंड**, **फिजी** और अन्य देशों में भी बोली जाती है।
- **संविधान में स्थान**: भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 343** के तहत **हिंदी** को **संघ** की **आधिकारिक भाषा** के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके अलावा, **हिंदी** को **आठवीं अनुसूची** में सूचीबद्ध **22 अनुसूचित भाषाओं** में से एक माना गया है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/regional-official-language-conferences